अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., राज् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
22/08/2023	**न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा** **आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या-60/2021** **रेखा कुमारी.....पुनरीक्षणकर्त्ता** **-बनाम-** **राज्य एवं अन्य.....रेसपॉण्डेन्ट** **-:: आदेश ::-** प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षणवाद रेखा कुमारी, पति-श्री सिकन्दर मंडल, ग्राम पंचायत-परसामाधो, वार्ड नं0-09, प्रखंड-किशनपुर, जिला-सुपौल के द्वारा न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के द्वारा आँगनबाड़ी अपील वाद सं0-05/2020 में दिनांक 03.03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसके द्वारा वादी के सहायिका के पद पर किये गये चयन को निरस्त कर दिया गया है। वादी का मूल रूप से कहना है कि आँगनबाड़ी सहायिका हेतु केन्द्र सं0-169, जो परसामाधो पंचायत प्रखंड-किशनपुर, जिला-सुपौल के अन्तर्गत है, विज्ञापन निकाला गया। उक्त आलोक में वादी सहित अन्य आवेदिका द्वारा आवेदन भरा गया। उक्त केन्द्र अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु विज्ञापित था। सभी आवेदिका 08 वीं उत्तीर्ण थी और वादी का प्राप्तांक 80% था, जो सबसे ज्यादा था। दिनांक 04.02.2020 को सम्पन्न आमसभा में वादी का सर्वसम्मति से चयन किया गया एवं चयन पत्र निर्गत किया गया। वादी का कहना है कि प्रतिवादी सं0-05 द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के यहाँ कोई शिकायत नहीं की गयी बल्कि सीधे जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के यहाँ 05/2020 अपील दायर कर दिया गया और नियमतः निम्न न्यायालय के द्वारा 45 दिन के अन्दर निर्णय नहीं दिया गया एवं गैरकानूनी तरीके से सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। प्रतिवादी कुन्दन कुमारी, पति-जय प्रकाश साह, ग्राम पंचायत-परसामाधो, प्रखंड-किशनपुर, जिला-सुपौल के द्वारा लिखित जबाव दायर किया गया। प्रतिवादी का कथन है कि वादी द्वारा मेरे एवं जिला प्रोग्राम	

पदाधिकारी (ICDS), सुपौल पर लगाये गये सारे आरोप गलत एवं तथ्यहीन है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल जिला स्तर पर आँगनबाड़ी सेवाओं एवं सेविका / सहायिका के चयन, कार्य संचालन इत्यादि के संबंध में उच्च विभागीय अधिकारी होते हैं, जिन्हें प्रशासनिक अधिकार के साथ-साथ समय-समय पर विभाग द्वारा विभिन्न दायित्व दिये जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल द्वारा बिल्कुल सही आदेश पारित किया गया है। प्रतिवादी का कहना है कि आमसभा के बैठक के उपरान्त मेरे द्वारा आपत्ति दर्ज करायी गयी थी, लेकिन उसपर कोई कार्रवाई नहीं की गयी। तत्पश्चात जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के यहाँ अपीलवाद दायर किया गया। प्रतिवादी का कथन है कि आवेदन पत्र के साथ वादी द्वारा अष्टम उत्तीर्ण का कोई अंक-पत्र संलग्न नहीं किया गया था, जिससे उनका अभ्यर्थित्व स्वंतः समाप्त हो जाता है, जो ऑनलाईन आवेदन पत्र से स्पष्ट है। कार्यालय स्तर पर सभी अभ्यर्थी का अंक-पत्र बाद में लेकर मेधासूची का निर्माण किया गया। अतः चयन प्रक्रिया को रद्द किया जाना विधिसम्मत आदेश है। प्रतिवादी का कथन है कि वादी द्वारा जो विद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र दाखिल किया गया है उसमें प्रमाण-पत्र देने की तिथि-26.01.02 दर्ज है, जो गलत है। चूँकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और विद्यालय बंदी रहता है। साथ ही इसी प्रमाण-पत्र पर प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर 26.09.20 दर्ज होना प्रमाण पत्र को गलत / फर्जी प्रमाणित करता है। सूचना के अधिकार द्वारा भी जानकारी माँगने पर विद्यालय का अस्तित्व नहीं होना प्रमाण पत्र को संदेहास्पद एवं फर्जी प्रमाणित करता है। प्रतिवादी का यह भी कहना है कि वादी रेखा कुमारी का मायका देवानगंज रौंघोपुर का होने के नाते जाति प्रमाण-पत्र वहाँ से निर्गत होना चाहिए, जबकि उनके द्वारा ससुराल का अंचल-किशनपुर से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र जमा किया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल द्वारा बाल विकास परियोजना कार्यालय के अभिलेख की सत्यापित प्रति के अवलोकन में पाया गया कि आमसभा पंजी के प्रस्ताव में सहायिका चयन हेतु निर्मित्त मेधासूची में सिर्फ एक अभ्यर्थी पूनम कुमारी का नाम दर्ज है, जबकि ऑनलाईन आवेदन तीन अभ्यर्थी रेखा कुमारी, कुन्दन कुमारी एवं बबीता कुमारी के द्वारा भी किया गया। पुनः दिनांक 04.02.2020 के आमसभा पंजी में मेधासूची में उपरोक्त सभी अभ्यर्थी का प्रतिशत अंक दर्ज किया गया है। जबकि परियोजना कार्यालय से प्राप्त सत्यापित अभिलेख में किसी भी अभ्यर्थी का अंक-पत्र संलग्न नहीं है। उक्त के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा चयन प्रक्रिया को संदेहास्पद पाते हुए रद्द किया गया तथा नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश पारित किया है, जो नियमानुकूल है। उक्त के आलोक में उनके

द्वारा इस पुनरीक्षणवाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्ष का पक्ष सुनने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य / कागजातों के परिशीलनोपरान्त यह परिलक्षित होता है कि इस मामले में आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2019 की कंडिका–4 में सहायिका पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। तदालोक में निम्न न्यायालय के द्वारा सहायिका चयन के सम्पूर्ण प्रक्रिया को नियमानुकूल नहीं पाते हुए पारित आदेश सही है। अतः इस पुनरीक्षणवाद को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक 2353 /विधि सहरसा, दिनांक 23-8-2023

प्रतिलिपि :- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी पुन0 वाद सं0-60/2021 में दिनांक-22.08.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है। साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय आँगनबाड़ी अपील वाद सं0-05/2020 से संबंधित अभिलेख (आदेश फलक-01 से 08 एवं अन्य कागजात-01 से 80 तक) मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

प्रतिलिपि :- श्रीमती रेखा कुमारी, पति-सिकन्दर मंडल / श्रीमती कुन्दन कुमारी, पति-जयप्रकाश साह ग्राम पंचायत-परसामाधो, वार्ड नं0-09, प्रखंड-किशनपुर, जिला-सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0मैनेजर, समाहरणालय, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।